

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 10 दिसम्बर, 2021

विषय : उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष में प्राधिकरणों/निकायों के अंशदान के संबंध में।
महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना विकास अनुभाग के पत्र संख्या-684/83-अव 0-2021-35-अव-2020, दिनांक 30.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शासन के पत्र संख्या-631/83-अव 0-2020-58(अव 0)/2019, दिनांक 04.10.2021 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-2 में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष में अंशदान के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास परिषद को गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैलेन्स शीट प्राप्त कर एवं परीक्षण कर एक माह में अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पत्र संख्या-3242/अभि0 अनु0/2021, दिनांक 12.10.2021 के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैलेन्स शीट तैयार होने पर शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कोई सूचना अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष हेतु निर्धारित अंशदान के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैलेन्स शीट प्राप्त एवं परीक्षण कर दिनांक 15.12.2021 तक आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष हेतु निर्धारित अंशदान के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैलेन्स शीट प्राप्त एवं परीक्षण कर दिनांक 13.12.2021 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय
10.12.2021
(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष हेतु निर्धारित अंशदान के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैलेन्स शीट मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग, उ0प्र0 को तत्काल उपलब्ध कराये :-

1. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ/गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

संलग्नक : यथोक्त

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)
अनु सचिव।

1965/2116-1-2e3

File No.77-50099(099)/61/2020- () -5-

169

I/117990/2021

अति महत्वपूर्ण

संख्या-684/83-अव0-2021-35-अव-2020

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

अवस्थापना विकास अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 30/11/2021

विषय:- उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष में प्राधिकरणों/निकायों के अंशदान के सम्बन्ध में।
महोदय,

शासन के पत्र संख्या-631/83-अव0-2020-58(अव0)/2019, दिनांक 04-10-2021 द्वारा निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-2 में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष में अंशदान के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास परिषद से गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैलेन्स शीट प्राप्त कर एवं परीक्षण कर एक माह में शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- उक्त के क्रम में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को संबोधित तथा अवस्थापना विकास विभाग को सूचनार्थ पृष्ठांकित आवास आयुक्त के पत्र सं0-3242/अभि0अनु0/2021 दिनांक 12-10-2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 आवास विकास परिषद की प्रमुख सचिव आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैलेन्स शीट तैयार होने पर शासन को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष हेतु निर्धारित अंशदान के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास परिषद से गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की बैलेन्स शीट प्राप्त एवं परीक्षण कर दिनांक 15-12-2021 तक आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

Signed by अरविन्द कुमार
Date: 30-11-2021 14:06:08
Reason: Approved

2-12-2021

अरविन्द कुमार
02-12-2021
3/12/2021


I/117990/2021

● संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।
- 2- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 3- उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

आज्ञा से,


(जय प्रकाश)

संयुक्त सचिव।